एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी एक समान युवा प्रभाग जय जोहार

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज

(रूढ़ी जन्य परम्परा पर आधारित)

कार्यालय – HDD -5, विधायक कॉलोनी, पुरैना, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail Id - cgsasraipur@gmail.com

उदय कुमार पण्डो
प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)

जिला कार्यालय व निवास स्थान-
ग्राम बढ़नीझरिया, बनारस मुख्य मार्ग
ग्राम पंचायत चठिरमा, पोस्ट-राघवपुरी,
थाना गांधीनगर, तह.-अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
पिन-497001, मो.-8770306806, 8719039663
E-mail Id : udaypando127@gmail.com

प्रदेश अध्यक्ष
मा. अरविंद नेताम जी
पूर्व केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष
मा. बी.एस. रावटे जी

प्रदेश सचिव संगठन
विनोद नागवंशी जी

प्रदेश अध्यक्ष (युवा प्रभाग)
मा. सुभाष सिंह परते जी

प्रदेश अध्यक्ष (महिला प्रभाग)
श्रीमती सविता राय जी

प्रदेश महासचिव (युवा प्रभाग)
मा. देवेन्द्र नेताम जी

प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा प्रभाग)
मा. दीनू नेताम जी (रायपुर)
मा. ललित नरेटी (कांकेर)
मा. कंदर्प सिदार जी (रायगढ़)
मा. विनय प्रकाश एक्का (जशपुर)
मा. मंगल कुंजाम जी (दंतेवाड़ा)
मा. वेदप्रकाश ध्रुव जी (धमतरी)
मा. मनमोहन सिंह गोंड़ जी (जांजगीर-चांपा)
कु. लक्ष्मी वट्टी जी (कोण्डगांव)
मा. मसु पोयाम जी (बस्तर)
मा. धर्मेन्द्र जी (कोरबा)
मा. हसदेव सिदार जी (बलौदा बाजार)
कु. शशि सिंह उर्रे जी (सूरजपुर)
मा. शत्रुहन साय जी (कोरिया)

प्रदेश सचिव
खोमेन्द्र नेताम जी (रायपुर)
आयुष सिंह राज (बिलासपुर)

सहा० अधी० रा०

Q. 59

दिनांक 23/8/23

प्रति,

माननीया आयुक्त महोदया
सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

विषय:- भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नामों में शामिल हुए नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति परिवारों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी कराने संबंधित छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देशों का पालन कराने बाबत।

संदर्भ:- क्रमांक/एफ 13-8/2023/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 22/08/2023 के संबंध में।

---000---

महोदया,

विषयांतर्गत सादर लेख है कि - सरगुजा संभाग में नगेसिया किसान और बिंझिंया जनजाति जिला बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया एमसीबी जिलों में निवासरत हैं, इन जनजातियों का जाति मात्रात्मक त्रुटि के कारण स्थाई जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था जिससे अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार से वंचित थे। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नामों को शामिल दिनांक 04/08/2023 को किया गया है जिसमें नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति भी शामिल हैं।

इसके परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नया रायपुर,अटल नगर के द्वारा शासन के समस्त विभाग एवं समस्त कलेक्टर, राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारियों को दिनांक 22/08/2023 को ही निर्देशित

29/9/23

आवक शाखा
कार्यालय आयुक्त सरगुजा
संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

संवैधानिक रक्षा के लिये संकल्पित

प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)

एक तीर एक कमान — सर्व आदिवासी एक समान — युवा प्रभाग — जय जोहार

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज

(रूढ़ी जन्य परम्परा पर आधारित)

कार्यालय - HDD -5, विधायक कॉलोनी, पुरैना, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail Id - cgsasraipur@gmail.com

उदय कुमार पण्डो
प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)

जिला कार्यालय व निवास स्थान-
ग्राम बढ़नीझरिया, बनारस मुख्य मार्ग
ग्राम पंचायत चठिरमा, पोस्ट-राघवपुरी,
थाना गांधीनगर, तह.-अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
पिन-497001, मो.-8770306806, 8719039663
E-mail Id : udaypando127@gmail.com

प्रदेश अध्यक्ष
मा. अरविंद नेताम जी
पूर्व केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष
मा. बी.एस. रावटे जी

प्रदेश सचिव संगठन
विनोद नागवंशी जी

प्रदेश अध्यक्ष (युवा प्रभाग)
मा. सुभाष सिंह परते जी

प्रदेश अध्यक्ष (महिला प्रभाग)
श्रीमती सविता राय जी

प्रदेश महासचिव (युवा प्रभाग)
मा. देवेन्द्र नेताम जी

प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा प्रभाग)
मा. दीनू नेताम जी (रायपुर)
मा. ललित नरेटी (कांकेर)
मा. कंदर्प सिदार जी (रायगढ़)
मा. विनय प्रकाश एक्का (जशपुर)
मा. मंगल कुंजाम जी (दंतेवाड़ा)
मा. वेदप्रकाश ध्रुव जी (धमतरी)
मा. मनमोहन सिंह गोंड़ जी (जांजगीर-चांपा)
कु. लक्ष्मी वट्टी जी (कोण्डगांव)
मा. मसु पोयाम जी (बस्तर)
मा. धर्मेन्द्र जी (कोरबा)
मा. हसदेव सिदार जी (बलौदा बाजार)
कु. शशि सिंह उरें जी (सूरजपुर)
मा. शत्रुहन साय जी (कोरिया)

प्रदेश सचिव
खोमेन्द्र नेताम जी (रायपुर)
आयुष सिंह राज (बिलासपुर)

Q. ...859 दिनांक 29/9/23

किया गया कि उक्त सूची में शामिल उक्तानुसार अनुसूचित जनजातियों को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल मानते हुए उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करते हुए उनके सामाजिक प्रास्थिति प्रमापा पत्र बनाने हेतु निर्देशित किया गया है लेकिन नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति परिवारों को अभी भी जाति प्रमाण पत्र बनाने में अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार राजस्व अधिकारी टालमटोल गुमराह कर परेशान कर रहे हैं, इन दोनों नगेसिया,बिंझिंया जनजाति अभ्यार्थियों के लिए शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है ताकि सभी अभ्यर्थियों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र बन सके जिससे कि संवैधानिक अधिकार का लाभ लेने में समर्थ हो ।

अतः महोदया जी से निवेदन है कि - संभाग के जिला बलरामपुर, सरगुजा ,जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी जिलों में निवासरत नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति परिवारों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाने में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का कष्ट करेंगे। ताकि शुरू से वंचित अनुसूचित जनजाति परिवारों का जाति प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सके।

सादर...!

उदय कुमार पण्डो
प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी
समाज युवा प्रभाग

एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी एक समान युवा प्रभाग जय जोहार

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज

(रूढ़ी जन्य परम्परा पर आधारित)

कार्यालय – HDD -5, विधायक कॉलोनी, पुरैना, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail Id - cgsasraipur@gmail.com

उदय कुमार पण्डो

प्रदेश उपाध्यक्ष

छ.ग.सर्व आदिवासी समाज

(युवा प्रभाग)

जिला कार्यालय व निवास स्थान-

ग्राम बढ़नीझरिया, बनारस मुख्य मार्ग

ग्राम पंचायत चठिरमा, पोस्ट-राघवपुरी,

थाना गांधीनगर, तह.-अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

पिन-497001, मो.-8770306806, 8719039663

E-mail Id : udaypando127@gmail.com

Q. ....

दिनांक ....

प्रदेश अध्यक्ष
मा. अरविंद नेताम जी
पूर्व केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष
मा. बी.एस. रावटे जी

प्रदेश सचिव संगठन
विनोद नागवंशी जी

प्रदेश अध्यक्ष (युवा प्रभाग)
मा. सुभाष सिंह परते जी

प्रदेश अध्यक्ष (महिला प्रभाग)
श्रीमती सविता राय जी

प्रदेश महासचिव (युवा प्रभाग)
मा. देवेन्द्र नेताम जी

प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा प्रभाग)
मा. दीनू नेताम जी (रायपुर)
मा. ललित नरेटी (कांकेर)
मा. कंदर्प सिदार जी (रायगढ़)
मा. विनय प्रकाश एक्का (जशपुर)
मा. मंगल कुंजाम जी (दंतेवाड़ा)
मा. वेदप्रकाश ध्रुव जी (धमतरी)
मा. मनमोहन सिंह गोंड़ जी (जांजगीर-चांपा)
कु. लक्ष्मी वट्टी जी (कोण्डगांव)
मा. मसु पोयाम जी (बस्तर)
मा. धर्मेन्द्र जी (कोरबा)
मा. हसदेव सिदार जी (बलौदा बाजार)
कु. शशि सिंह उर्रे जी (सूरजपुर)
मा. शत्रुहन साय जी (कोरिया)

प्रदेश सचिव
खोमेन्द्र नेताम जी (रायपुर)
आयुष सिंह राज (बिलासपुर)

संलग्नः-

01. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम सन् 2023, भारत राजपत्र दिनांक 04/08/2023 की छाया प्रति।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधित आदेश की छाया प्रति संलग्न।

प्रतिलिपिः-

01. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला सूरज पुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
05. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला कोरिया व एमसीबी की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
06. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय, ...
जिला -....................(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

उदय कुमार पण्डो
प्रदेश उपाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी
समाज युवा प्रभाग

प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र. एफ 13–8 / 2023 / आ.प्र. / 1–3,
प्रति

नवा रायपुर, दिनांक 21 / 08 / 2023

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

विषय :– **भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नामों को शामिल करने बाबत्।**

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे अनुसूचित जनजाति सदस्य के लोग जिनकी जाति पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं थी, उन अनुसूचित जाति नामों को भारत सरकार द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 2023 दिनांक 04.08.2023 द्वारा अधिसूचित करते हुए शामिल किया गया है।

2/ समस्त कलेक्टर एवं राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, भारत सरकार के नवीन राजपत्र दिनांक 04.08.2023 में, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 20–छत्तीसगढ़ में प्रविष्टि 5, प्रविष्टि–14 प्रविष्टि–15, प्रविष्टि–16 प्रविष्टि–23, प्रविष्टि 27, प्रविष्टि 32, प्रविष्टि 33, प्रविष्टि 41, प्रविष्टि 42 एवं प्रविष्टि 43 में संलग्न राजपत्र अनुसार संशोधित किया गया है। अतः उक्त सूची में शामिल उक्तानुसार अनुसूचित जनजातियों को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल मानते हुए उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करते हुए उनके सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 2023 दिनांक 04.08.2023 की छायाप्रति।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस.के.सिंह) 22.8.2023
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः 2

प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)

पृ.क. एफ 13–8/2023/आ.प्र./1–3

प्रतिलिपिः–

नवा रायपुर, दिनांक 22/08/2023

(1) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
(2) मान.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
(3) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मान.मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
(4) सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
(5) रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
(6) महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
(7) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
(8) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
(9) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
(10) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
(11) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर।
(12) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
(13) विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/मान.संसदीय सचिवगण, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
(14) सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर।
(15) सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर
(16) सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
(17) आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, 7–सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरा, नई दिल्ली।
(18) सचिव, समस्त निगम/मण्डल/आयोग नवा रायपुर एवं रायपुर।
(19) संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
(20) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in पर तत्काल अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
22.8.23

प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082023-247864
CG-DL-E-05082023-247864

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2023/ श्रावण 13, 1945 (शक)
No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2023/SRAVANA 13, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 4th August, 2023/Sravana 13, 1945 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 4th August, 2023 and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) ACT, 2023

(No. 13 of 2023)

[*4th August*, 2023]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 for inclusion of certain communities in the list of Scheduled Tribes in relation to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2023. Short title.

C.O. 22 2. In the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, in PART XX.—Chhattisgarh,— Amendment of Part XX of Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

(*i*) for entry 5, the following entry shall be substituted, namely:—

"5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Bhuinya, Bhuiyan,

प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)

Bhuyan, Paliha, Pando";

(*ii*) in entry 14, after "Dhanwar", insert ", Dhanuhar, Dhanuwar";

(*iii*) for entry 15, as amended by the Fourth Schedule to the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, as appearing in the Hindi version of the said Act, the following shall be substituted, namely:— 28 of 2000.

"15. Gadaba, Gadba";

(*iv*) for entry 16, as amended by the Fourth Schedule to the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, as appearing in the Hindi version of the said Act, the following shall be substituted, namely:— 28 of 2000.

"16. Gond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Abujh Maria, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari, Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi";

(*v*) in entry 23, for "Kondh", substitute "Kond, Kondh";

(*vi*) for entry 27, as amended by the Fourth Schedule to the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, as appearing in the Hindi version of the said Act, for "Kodaku", substitute "Kodaku"; 28 of 2000.

(*vii*) in entry 32, after "Nagasia", insert ", Kisan";

(*viii*) for entry 33, as amended by the Fourth Schedule to the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000, as appearing in the Hindi version of the said Act, the following shall be substituted, namely:— 28 of 2000.

"33. Oraon, Dhanka, Dhangad";

(*ix*) in entry 41, after "Sawara", insert ", Saunra, Saonra";

(*x*) after entry 42, the following entry shall be inserted, namely:—

"43. Binjhia".

DR. REETA VASISHTA,
Secretary to the Govt. of India.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.

RND—234GI(S3)—04-08-2023.

प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)

एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी एक समान युवा प्रभाग जय जोहार

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज

(रूढ़ी जन्य परम्परा पर आधारित)

कार्यालय – HDD -5, विधायक कॉलोनी, पुरैना, रायपुर (छ.ग.)
E-Mail Id - cgsasraipur@gmail.com

उदय कुमार पण्डो
प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)

जिला कार्यालय व निवास स्थान-
ग्राम बढ़नीझरिया, बनारस मुख्य मार्ग
ग्राम पंचायत चठिरमा, पोस्ट-राघवपुरी,
थाना गांधीनगर, तह.-अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
पिन-497001, मो.-8770306806, 8719039663
E-mail Id : udaypando127@gmail.com

प्रदेश अध्यक्ष
मा. अरविंद नेताम जी
पूर्व केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष
मा. बी.एस. रावटे जी
प्रदेश सचिव संगठन
विनोद नागवंशी जी
प्रदेश अध्यक्ष (युवा प्रभाग)
मा. सुभाष सिंह परते जी
प्रदेश अध्यक्ष (महिला प्रभाग)
श्रीमती सविता साय जी
प्रदेश महासचिव (युवा प्रभाग)
मा. देवेन्द्र नेताम जी
प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा प्रभाग)
मा. दीनू नेताम जी (रायपुर)
मा. ललित नरेटी (कांकेर)
मा. कंदर्प सिदार जी (रायगढ़)
मा. विनय प्रकाश एक्का (जशपुर)
मा. मंगल कुंजाम जी (दंतेवाड़ा)
मा. वेदप्रकाश ध्रुव जी (धमतरी)
मा. मनमोहन सिंह गोंड़ जी (जांजगीर-चांपा)
कु. लक्ष्मी वट्टी जी (कोण्डगांव)
मा. मसु पोयाम जी (बस्तर)
मा. धर्मेन्द्र जी (कोरबा)
मा. हसदेव सिदार जी (बलौदा बाजार)
कु. शशि सिंह उर्रे जी (सूरजपुर)
मा. शत्रुहन साय जी (कोरिया)
प्रदेश सचिव
खोमेन्द्र नेताम जी (रायपुर)
आयुष सिंह राज (बिलासपुर)

Q. 59. दिनांक 29/9/23

प्रति,

माननीया आयुक्त महोदया
सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

विषय:- भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नामों में शामिल हुए नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति परिवारों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी कराने संबंधित छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देशों का पालन कराने बाबत।

संदर्भ:- क्रमांक/एफ 13-8/2023/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 22/08/2023 के संबंध में।

---000---

महोदया,

विषयांतर्गत सादर लेख है कि - सरगुजा संभाग में नगेसिया किसान और बिंझिंया जनजाति जिला बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया एमसीबी जिलों में निवासरत हैं, इन जनजातियों का जाति मात्रात्मक त्रुटि के कारण स्थाई जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था जिससे अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार से वंचित थे। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नामों को शामिल दिनांक 04/08/2023 को किया गया है जिसमें नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति भी शामिल हैं।

इसके परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नया रायपुर,अटल नगर के द्वारा शासन के समस्त विभाग एवं समस्त कलेक्टर, राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारियों को दिनांक 22/08/2023 को ही निर्देशित

कार्यालय कमिश्नर,सरगुजा(छ.ग.)
शाखा............प्रभारी अधिकारी............
सहा. अधी. राजस्व
29 SEP 2023
अधीक्षक कमिश्नर

प्रदेश उपाध्यक्ष
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज
(युवा प्रभाग)